

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में शासन स्तर से सदस्य नामित करने हेतु आवेदन पत्र का  
प्रारूप(केवल उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में वैध पंजीकृत पशुचिकित्साविदों हेतु)

1. पशुचिकित्साविद का नाम –
2. शैक्षिक योग्यता –
3. उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकरण संख्या व दिनांक–
4. पंजीकरण वैधता तिथि–
5. मोबाइल नम्बर–
6. पशुचिकित्साविद का पता–
  
7. क्या आप राज्य पशुचिकित्सा सेवा से जुड़े हैं यदि हों, तो पशुपालन विभाग में योगदान की तिथि एवं वर्तमान धारित पद एवं उसका विवरण –
  
8. यदि आप राजकीय सेवा से सम्बन्धित नहीं हैं तो वर्तमान व्यवसाय का विवरण –
  
9. आपके द्वारा पशुपालन विभाग में सेवा के दौरान किया गया कोई विशिष्ट कार्य एवं उसका विवरण –
  
10. आपके द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में किया गया विशिष्ट कार्य एवं उसका विवरण –

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गयी उक्त सूचनायें मेरे ज्ञान एवं विवेक के अनुसार सत्य एवं सही हैं, तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में शासन द्वारा सदस्य नामित होने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर–  
नाम–  
पता–